

अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, सप्लाईज, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

माल और सेवा कर/प्रवेश कर/विद्युत शुल्क/मूल्य परिवर्धित कर (वैट)/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होते हैं, जिनकी सहायता हेतु 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार है। संबंधित कर कानूनों एवं नियमों को लागू करवाने में इनकी सहायता कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ करते हैं।

2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख हैं। सहायक लेखाधिकारी के पर्यवेक्षण में 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य योजना, इकाइयों की महत्वपूर्णता और राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशतता में
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55
2017-18	526	468	994	526	468	47

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 35 से 73 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 16,453 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2012-13 तक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
अनुच्छेदों की संख्या	10,995	758	705	839	894	2,262	16,453

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

अधिक संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठा रहा है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग में 492 लेखापरीक्षा इकाइयां हैं, इनमें से 150 इकाइयों का चयन किया गया जिन्होंने 1.89 लाख कर निर्धारण किये। इनमें से वर्ष 2017-18 के दौरान 27,000 कर निर्धारणों की नमूना जांच के दौरान 629 प्रकरणों में राशि ₹ 152.13 करोड़ के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, आगत कर की अनियमित स्वीकृति, घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाया जाना और अधिनियम/नियमों की पालना नहीं करने के प्रकरण पाये गये। लेखापरीक्षा द्वारा इस तरह की चूक को पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लाया गया था, लेकिन न सिर्फ़ ऐसी अनियमिततायें कायम रही, बल्कि इन्हें लेखापरीक्षा किये जाने तक खोजा नहीं जा सका। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करते हुये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। पायी गई मुख्यतः अनियमिततायें, निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'माल और सेवा कर (जीएसटी) में रूपान्तरण हेतु की गयी तैयारी' पर एक अनुच्छेद	1	63.35
2	'विभागीय अधिकारियों द्वारा अपील प्रकरणों का निस्तारण' पर एक अनुच्छेद	1	-
3	'केप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर एक अनुच्छेद	1	12.98
4	कर का अवनिर्धारण	109	18.68
5	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	11	3.05
6	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	36	11.37
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन करना	115	7.76
8	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	346	34.65
	(ii) व्यय से संबंधित	9	0.29
	योग	629	152.13

वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने 427 प्रकरणों में ₹ 28.36 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 3.24 करोड़ के 73 प्रकरण वर्ष 2017-18 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग द्वारा 41 प्रकरणों में ₹ 0.61 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की गई जिसमें से ₹ 0.12 करोड़ के 9 प्रकरण वर्ष 2017-18 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

एक इकाई ने जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिये न तो विवरणियां प्रस्तुत की और न ही विद्युत शुल्क राशि ₹ 10.04 करोड़ चुकायी। तथापि विभाग द्वारा दोषी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी करने के बाद विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि की वसूली की गयी (नवम्बर 2018)। इस प्रतिवेदन में इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

इस अध्याय में तीन अनुच्छेद और उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण दिये गये हैं जिनमें राशि ₹ 106.74 करोड़ सन्निहित है।

2.4 माल और सेवा कर (जीएसटी) में रूपान्तरण हेतु की गयी तैयारी

2.4.1 प्रस्तावना

माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी¹ माल या सेवाओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए शराब और पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों² को छोड़कर) पर संघ (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी)/संघ शासित प्रदेशों (यूटीजीएसटी) द्वारा अलग-अलग लेकिन समवर्ती रूप से लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) माल या सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (आयात सहित) पर लगाया जा रहा है और संसद को आईजीएसटी लगाने के लिए विशेष शक्तियां प्रदत्त हैं। जीएसटी के लागू होने से पूर्व, व्यवहारियों द्वारा राज्यान्तर्गत विक्रय किये गये माल पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (आरवैट) अधिनियम, 2003 और माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर आरोपण किया जाता था।

राज्य सरकार को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार था, जबकि जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को, केंद्र और राज्य द्वारा *माल और सेवा कर परिषद* जो जीएसटी से संबंधित मामलो के लिये केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ गठित की गयी है की सिफारिश पर विनियमित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान माल और सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 और राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित (जून 2017) किया जिसमें विभिन्न करों³ को समाहित किया गया।

आईटी सेवाएं को प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना एक निजी कम्पनी के रूप में की गयी। यह करदाताओं के लिए *फ्रंट-एंड आईटी सेवाएं* प्रदान करती है जैसे कि पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरणियां प्रस्तुत करना। जीएसटीएन द्वारा मॉडल-II⁴ राज्यों को *बैक-एंड आईटी सेवाएं* यानि पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण दर्शक, प्रतिदाय प्रक्रिया, एमआईएस रिपोर्ट इत्यादि भी प्रदान की जा रही है। राजस्थान ने मॉडल-II का चयन किया है।

2.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस दृष्टिकोण से की गयी:

- आईटी समाधान को लागू करने के लिए राज्य सरकार की तैयारी का मूल्यांकन करना;
- नियमों/विनियमों/आईटी सिस्टम को तैयार/कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किये गए क्षमता निर्माण उपायों का आंकलन करना और

¹ केन्द्रीय माल और सेवा कर: सीजीएसटी एवं राज्य/केन्द्र शासित जीएसटी: एसजीएसटी/यूटीजीएसटी।

² पेट्रोलियम उत्पाद: कूड, हाईस्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एवं प्राकृतिक गैस।

³ राज्य मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर।

⁴ मॉडल-I राज्य: जीएसटीएन द्वारा केवल *फ्रंट-एण्ड सेवाएं* प्रदान की गईं,

मॉडल-II राज्य: जीएसटीएन द्वारा *फ्रंट-एण्ड* एवं *बैक-एण्ड* दोनों सेवाएं प्रदान की गईं।

- राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कर व्यवस्था के मुद्दों को संभालने के लिये तय की गयी रणनीति का विश्लेषण करना।

2.4.3 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों और इनके तहत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिये गये:

- राजस्थान जीएसटी अधिनियम, 2017;
- राजस्थान जीएसटी नियम, 2017;
- जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017;
- समाहित किये गये करों से संबंधित अधिनियम और इनके तहत निर्मित नियम;
 - राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और केन्द्रीय/राज्य सरकार और जीएसटी परिषद द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश।

2.4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भारत के संविधान में 101वें संशोधन के बाद अर्थात् 8 सितम्बर 2016 से मार्च 2018 तक जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (सीसीटी) के कार्यालय के रिकार्ड और विभागीय वेब आधारित एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर पुराने प्रकरणों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों जैसे कर निर्धारण, वसूली/प्रतिदाय, संशोधन, घोषणा पत्र प्रस्तुत करने आदि की जांच की गयी।

ड्राफ्ट पैरा सरकार को सितम्बर 2018 में भेजा गया। जांच के परिणामों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। उनके मत को अनुच्छेद के संबंधित भाग में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.4.5 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व की प्रवृत्ति

जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया तथा जीएसटी के तहत असमाहित/समाहित करों सहित जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की कुल प्राप्तियां राशि ₹ 23,599.29 करोड़ (आईजीएसटी अग्रिम ₹ 751 करोड़ सहित) थी जबकि पिछले वर्ष 2016-17 की इसी अवधि के दौरान जीएसटी-पूर्व करों के तहत राजस्व प्राप्त राशि ₹ 22,570.26 करोड़ थी अर्थात् केवल 4.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीएसटी पूर्व करों⁵ एवं जीएसटी के तहत

⁵ राज्य मूल्य परिवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर।

वास्तविक प्राप्तियां निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	जीएसटी पूर्व करों के अन्तर्गत प्राप्तियां ⁶	जीएसटी के अन्तर्गत प्राप्तियां		जीएसटी पूर्व एवं जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां	वृद्धि प्रतिशत में	प्राप्त मुआवजा	कुल प्राप्तियां
			एसजीएसटी	आईजीएसटी विभाजन				
2013-14	22,105.01	21,571.89	-	-	21,571.89	-	-	21,571.89
2014-15	26,084.99	25,240.11	-	-	25,240.11	17.00	-	25,240.11
2015-16	30,221.79	27,363.45	-	-	27,363.45	8.41	-	27,363.45
2016-17	29,945.00	29,581.78	-	-	29,581.78	8.11	-	29,581.78
2017-18*	31,590.00 ⁷	7,950.68	-	-	7,950.68	6.65	2,598.00	34,147.97
2017-18#		11,462.27	6,260.21	5,876.81	23,599.29			

*अप्रैल से जून 2017 # जुलाई 2017 से मार्च 2018

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि विगत चार वर्षों के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी।

2.4.6 कानूनी/वैधानिक तैयारी

राज्य सरकार ने राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017)। राज्य में ई-वे बिल प्रणाली को अन्तर्राज्यीय लेन-देन पर 1 अप्रैल 2018 से व राज्यान्तर्गत लेन-देन पर 20 मई 2018 से लागू किया गया। राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गयी। राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग ने जून 2017 से जून 2018 तक जीएसटी से संबंधित 219 अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश जारी किये।

2.4.7 विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की तैयारी एवं क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन द्वारा करदाताओं को तीन फ्रन्ट-एंड सेवाएं प्रदान करनी थी, जैसे कि पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरणियां प्रस्तुत करना। चूंकि राजस्थान ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मॉडल-II का चयन किया था, इसलिए जीएसटीएन द्वारा जीएसटी प्रशासन के लिए बैक-एंड एप्लिकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण-दर्शक, अंडरटेकिंग पत्र (एलयूटी) प्रोसेसिंग, रिफंड प्रोसेसिंग, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि विकसित किए जा रहे थे। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, राज्य को बैक-एंड एप्लिकेशन के लिये मल्टी-प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएस) कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्य के स्टेट डेटा सेंटर पर एक्सेस उपलब्ध था।

नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स (एनएसीईएन), फरीदाबाद के समग्र पर्यवेक्षण में अधिकारियों (कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर तक) के लिए

⁶ विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट अनुमान (आरई) एवं वास्तविक प्राप्तियों की राशि और वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों (बजट मद 0040, 0042 व 0045) में अन्तर वित्त लेखों में रजिस्ट्रार राजस्व विभाग, अजमेर व उप शासन सचिव वित्त (वेज एण्ड मीन्स) से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित होने के कारण है।

⁷ जीएसटी पूर्व करों के लिये बजट अनुमान ₹ 19,890 करोड़ एवं जीएसटी ₹ 11,700 करोड़।

चार चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चयनित मास्टर ट्रेनर्स (अधिकारियों) को जीएसटीएन के पर्यवेक्षण में इंफोसिस परिसर चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, राज्य कर अकादमी, जयपुर में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं कर सहायक के स्तर तक के अधिकारियों के लिए आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी आईटी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पूरे राज्य में 1,000 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें एक लाख से ज्यादा हितधारकों/करदाताओं ने भाग लिया। जीएसटी से संबंधित जानकारी जैसे अधिनियम/नियम, अधिसूचना/परिपत्र/आदेश, सहायता/एफएक्यू, महत्वपूर्ण तिथियां, जीएसटी सेवा प्रदाता (जीएसपी), ई-मित्र कियोस्क, जीएसटी दर फाइन्डर एप, करदाता विभाजन, ई-वे बिल आदि के लिए विभागीय वेबसाइट *राजटेक्स* पर 'जीएसटी कार्नर' टैब भी शुरू किया गया। करदाताओं की समस्याओं/प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया।

इसके अलावा, विभाग ने सूचित किया कि जीएसटीएन पोर्टल पर वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारियों के लिये बनाए गए वर्तमान उपयोगकर्ता-आधार (यूजरबेस) के लिए वर्तमान में उपलब्ध डेस्कटॉप पर्याप्त है।

2.4.8 जीएसटी का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटी के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों/चुनौतियों में पंजीकरण, माइग्रेशन, करदाताओं का आवंटन, विवरणियां प्रस्तुत करना, कर का भुगतान, ट्रांजिशनल क्रेडिट, प्रतिदाय आदि शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं विनियमों में परिवर्तनों सहित इन मुद्दों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया और संक्षेप में निम्नानुसार चर्चा की गयी है:

2.4.8.1 करदाताओं का पंजीयन

जीएसटी-पूर्व कानूनों के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास वैध स्थायी स्वाता संस्था (पैन) है को अस्थायी आधार पर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाना था। उसके बाद, निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर पंजीयन का अंतिम प्रमाण-पत्र दिया जाना था। इसके अलावा, राशि ₹ 20 लाख की सीमा से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी के तहत पंजीयन कराना आवश्यक था।

● वाणिज्यिक कर विभाग के मौजूदा करदाताओं का माइग्रेशन

राजस्थान जीएसटी नियम, 2017 के नियम 24 के अनुसार समाहित करों के मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास पैन है, ई-मेल पते के साथ-साथ मोबाइल नंबर को सत्यापित करके सामान्य पोर्टल पर नामांकन करेगा। ऐसे व्यक्ति का अस्थायी आधार पर पंजीयन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसका अस्थायी पंजीयन किया गया है, वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन में दी गई जानकारी और विवरण सही और पूर्ण पाए जाते हैं तो पंजीकृत व्यक्ति को पंजीयन प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग द्वारा प्रदान की गई

जानकारी के अनुसार, वाणिज्यिक कर विभाग में मौजूदा पंजीकृत व्यवहारियों के अस्थायी पंजीयन और अंतिम पंजीयन की स्थिति नीचे दी गई है:

वैध पैन सहित मौजूदा पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अस्थायी आईडी की कुल संख्या (प्रतिशत कॉलम संख्या 1 के संबंध में)	प्राथमिक नामांकित व्यवहारियों की संख्या (प्रतिशत कॉलम संख्या 1 के संबंध में)	नामांकन पूर्ण किया गया (प्रतिशत कॉलम संख्या 1 के संबंध में)
(1)	(2)	(3)	(4)
5,41,472	5,36,078 (99 प्रतिशत)	4,97,170 (92 प्रतिशत)	4,34,077 (80 प्रतिशत)

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मौजूदा व्यवहारियों में से 92 प्रतिशत ने प्राथमिक नामांकन किया लेकिन मौजूदा व्यवहारियों में से केवल 80 प्रतिशत ने ही माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी की और जीएसटी के तहत अन्तिम रूप से पंजीकृत हुये।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि माइग्रेशन प्रक्रिया व्यवहारी द्वारा पूरी की जानी थी और यह उसके लिये स्वैच्छिक था। माइग्रेशन नहीं करने के कुछ कारण थे जैसे कि व्यवहारी की पंजीयन देयता नहीं थी क्योंकि वे प्रारम्भिक सीमा से नीचे थे, डुप्लीकेट पैन, वैट में कारोबार बंद करना, आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सूचित किया कि 63,093 व्यवहारियों जिन्होंने अपना द्वितीय नामांकन पूरा नहीं किया उनमें से राज्य के अधिकार क्षेत्र के 52,785 वैट व्यवहारियों के संबंध में कारणों का विश्लेषण किया गया और ये शून्य टर्नओवर, कम टर्नओवर, व्यवसाय बंद करना, व्यवसाय नए पंजीकरण से शुरू करना, आदि हैं।

● **केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन**

(अ) **वाणिज्यिक कर विभाग और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के मौजूदा करदाता:**

जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार मौजूदा करदाताओं में से राशि ₹ 1.50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले पंजीकृत करदाताओं के 90 प्रतिशत व राशि ₹ 1.50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले पंजीकृत करदाताओं के 50 प्रतिशत करदाता राज्य को आवंटित किये गये। तदनुसार, राज्य को निम्नानुसार 4,64,007 मौजूदा पंजीकृत करदाताओं का अधिकार क्षेत्र आवंटित (नवम्बर 2017) किया गया:

मौजूदा पंजीकृत करदाता			
	राशि ₹ 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर	राशि ₹ 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर	कुल
राज्य	30,954	4,33,053	4,64,007
केन्द्र	30,969	48,135	79,104
कुल	61,923	4,81,188	5,43,111

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

(ब) **नये करदाता:** करदाताओं द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान जीएसटी पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य और केन्द्र को नए पंजीकृत करदाताओं का अधिकार क्षेत्र आवंटित किया जा रहा है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत 12 जून 2018 को नये पंजीयन की स्थिति नीचे दी गई है:

12 जून 2018 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1,25,423	18,754	1,05,509	1,160

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

इस प्रकार 12 जून 2018 को पंजीयन के विभिन्न स्तरों पर 1,160 आवेदन लम्बित थे। इनमें नियम बनाये जाने की तिथि अर्थात् 22 जून 2017 से प्राप्त प्रकरण सम्मिलित है।

2.4.8.2 विवरणी प्रस्तुत करना

राजस्थान जीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, कम्पोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को प्रपत्र जीएसटीआर-1⁸ में माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के विवरण, प्रपत्र जीएसटीआर-2⁹ में माल या सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति के विवरण तथा प्रपत्र जीएसटीआर-3 (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा तैयार) में मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी थी, जबकि कम्पोजिशन करदाताओं को त्रैमासिक विवरणी जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करनी थी।

नई कर व्यवस्था की प्रारंभिक अवधि में करदाताओं को हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया गया। जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 प्रस्तुत करना स्थगित कर दिया गया और सभी करदाताओं को प्रपत्र जीएसटीआर-3बी¹⁰ में आगामी माह की 20 तारीख तक कर भुगतान के साथ एक साधारण मासिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा राशि ₹ 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को त्रैमासिक आधार पर जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।

2.4.8.3 कर का भुगतान

मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी और त्रैमासिक विवरणी जीएसटीआर-4 देय कर के भुगतान के बाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसलिए, करदाताओं द्वारा देय कर के समय पर जमा को सुनिश्चित करने के लिए इन विवरणियों की निगरानी महत्वपूर्ण थी। विभाग द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए उपलब्ध करवायी गयी (सितम्बर 2018) सूचना की जांच से पता चला कि वे करदाता जिनके द्वारा मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत की जानी थी उनकी संख्या 3,84,815 और 4,62,294 के मध्य थी, जिसके विरुद्ध 3,29,244 और 3,92,416 के मध्य करदाताओं ने अपनी मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत की। शेष करदाताओं ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिये अपनी 5,68,302 मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत नहीं की। चूककर्ताओं द्वारा कर की चोरी व प्राप्तकर्ताओं द्वारा चूककर्ताओं को चुकायी कर राशि के विरुद्ध आगत कर का दावा करने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त 71 से 85 प्रतिशत कम्पोजिशन करदाताओं ने ही अपनी तिमाही विवरणी जीएसटीआर-4 प्रस्तुत की थी।

⁸ जीएसटीआर-1: (अ) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को अन्तर्राज्यीय एवं राज्यान्तर्गत आपूर्ति और अपंजीकृत व्यक्तियों को ₹ 2.50 लाख से अधिक बिल राशि की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति का बिलवार विवरण, (ब) अपंजीकृत व्यक्तियों को राज्यान्तर्गत की गई आपूर्ति का समेकित विवरण और अपंजीकृत व्यक्तियों को मूल्य ₹ 2.50 लाख तक की बिल राशि की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति का राज्यवार विवरण और (स) माह के दौरान जारी डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हो।

⁹ जीएसटीआर-2 (अ) सभी पंजीकृत व अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त की गयी अन्तर्राज्यीय और राज्यान्तर्गत आपूर्ति का बिलवार विवरण, (ब) आयात की गयी वस्तुओं व सेवाओं का विवरण और (स) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त डेबिट एवं क्रेडिट नोट, यदि कोई हो।

¹⁰ जीएसटीआर-3बी: कम्पोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त अन्य सभी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि जीएसटीआर-3बी विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले 93,666 करदाताओं को ई-मेल भेजे गये। इनमें से 30,482 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी प्रस्तुत कर दी और राशि ₹ 2,452.46 करोड़ की कर देयता घोषित की। तथापि, जीएसटीआर-4 विवरणी चूककर्ताओं का विवरण अभी भी जीएसटीएन से प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण है कि विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि शेष 63,184 करदाता¹¹ अपनी विवरणी शीघ्रता से प्रस्तुत करें।

2.4.8.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट

राजस्थान जीएसटी नियमों के नियम 117 सपठित राजस्थान जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के अनुसार, पंजीकृत करदाता जीएसटी-पूर्व प्रणाली के तहत आगे ले जायी गयी एवं उपयोग नहीं की गयी आईटीसी¹² की राशि (वैट विवरणी के अनुसार) का क्रेडिट जीएसटी प्रणाली में लेने के हकदार थे। इसमें वैट विवरणी में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में उपयोग में नहीं ली गयी आगत कर क्रेडिट भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, करदाता स्टॉक में रखे हुए कच्चे माल और अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल के संबंध में वैट का क्रेडिट लेने के हकदार थे जिस पर पहले के कानून में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया तथा करदाता राजस्थान जीएसटी अधिनियम के तहत ऐसे माल पर आगत कर क्रेडिट के लिये पात्र है। पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1 में विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यद्यपि ऐसे करदाताओं को क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जायेगी जिन्होंने जीएसटी-पूर्व कानून के तहत पूर्ववर्ती छः महीने की अवधि के लिए आवश्यक विवरणियां निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं की थी।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये (मई 2018) प्रासंगिक डम्प डेटा¹³ की जांच और करदाताओं द्वारा 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत वैट विवरणी (वैट-10) से प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 61,517 करदाताओं ने ट्रान-1 प्रस्तुत किया और राशि ₹ 4,758.66 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। उक्त 61,517 करदाताओं में से 51,209 करदाताओं ने एसजीएसटी के रूप में राशि ₹ 1,161.71 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। लेखापरीक्षा ने 90 मामलों (प्रत्येक एक करोड़ से अधिक) की नमूना जांच की जहां एसजीएसटी के रूप में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था।

डम्प डेटा के अनुसार दावा की गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का, अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए प्रस्तुत वैट विवरणियों (वैट-10) में आगे ले जाना दर्शायी गयी आईटीसी के साथ प्रतिसत्यापन में पता चला कि 16 करदाताओं के मामले में अन्तर था। इन प्रकरणों का विवेचन निम्नानुसार है:

- आठ करदाताओं ने वैट विवरणी में आगे ले जायी गयी आईटीसी से अधिक राशि ₹ 56.87 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट का ट्रान-1 में अनियमित रूप से दावा किया।

¹¹ 63,184 करदाता: 93,666-30,482

¹² आईटीसी: आगत कर क्रेडिट।

¹³ डम्प डेटा: विभाग द्वारा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाया गया (31 मई 2018) पंजीयन, विवरणी (ट्रान-1 और जीएसटीआर-3बी) और प्रतिदाय की सूचना का डेटाबेस।

- छः करदाताओं ने स्टॉक पर आगत कर के रूप में राशि ₹ 8.34 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया जिसकी लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी क्योंकि अभी तक इन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2017-18 (30 जून 2017 तक) के लिए व्यापार खातों सहित वार्षिक वैट विवरणी (वैट-10ए और वैट-11) प्रस्तुत की जानी थी। विभाग ने समय-समय पर वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वैट विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि को आगे बढ़ाया तथा अन्तिम वृद्धि 31 अक्टूबर 2018 तक की गयी। इन छः में से दो करदाताओं ने वैट विवरणी में आगे ले जायी गयी आईटीसी से अधिक राशि ₹ 1.50 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट का ट्रान-1 में अनियमित रूप से दावा किया।
- ट्रान-1 में राशि ₹ 4.98 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले दो करदाताओं ने 2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए वैट विवरणी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार प्रारम्भिक जांच के नतीजे दर्शाते हैं कि ट्रांजिशनल क्रेडिट के सभी मामलों में पिछले कर कानूनों के तहत प्रस्तुत विवरणियों और अन्य संबंधित अभिलेखों से प्रतिसत्यापन किया जाना चाहिए। यह बताने के बाद सरकार ने कहा (अक्टूबर 2018) कि:

- तीन मामले सीजीएसटी प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में थे और उन्हें तदनुसार सूचित किया गया है।
- 11 मामलों में राशि ₹ 42.84 करोड़ की आईटीसी को रिवर्स/अवरूद्ध करने की कार्यवाही की गयी है।
- शेष दो मामलों में जांच प्रगति पर थी।

सरकार ने आगे कहा कि 563 मामलों में वैट और ट्रान-1 के तहत दी गयी सूचना के मध्य अन्तर पाया गया इनमें से 34 मामले केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में थे। विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के 505 मामलों की जांच की जिनमें से 112 मामलों में आईटीसी रिवर्स/अवरूद्ध करने की कार्यवाही की गयी, 24 मामलों में जांच चल रही थी और शेष मामलों में आईटीसी का दावा सही पाया गया। यद्यपि, केन्द्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र में तथा अधिकार क्षेत्र से स्थानान्तरित किये गये व्यवहारियों से संबंधित आईटीसी के सत्यापन के लिए स्थापित प्रणाली के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

2.4.8.5 माल और सेवा कर के तहत प्रतिदाय

जीएसटीएन के तहत रिफण्ड माड्यूल परिचालन में नहीं था इसलिए आवेदकों को मैनुअल सिस्टम के माध्यम से प्रतिदाय की अनुमति दी गयी। किसी कर अवधि के अन्त में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या अप्रयुक्त आगत कर क्रेडिट में शेष राशि के प्रतिदाय के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। कर भुगतान बिना किए शून्य दर से आपूर्ति के मामले में या इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट इकट्ठा होने पर अप्रयुक्त आगत कर क्रेडिट के प्रतिदाय की अनुमति थी। विभाग द्वारा दी गयी सूचना के

अनुसार प्रतिदाय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

प्रतिदाय के लिए 31 मार्च 2018 तक प्राप्त आवेदन		निर्धारित अवधि में जारी किए गए प्रतिदाय		निर्धारित अवधि के बाद जारी किए गए प्रतिदाय		अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	
962	131.88	776 (81 प्रतिशत)	119.15	28 (3 प्रतिशत)	0.13	158

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने निर्धारित अवधि के भीतर 81 प्रतिशत पंजीकृत करदाताओं को प्रतिदाय जारी किये और 158 आवेदन अस्वीकृत किये। चूंकि जीएसटीआर-2 प्रस्तुत करना स्थगित (आगे के आदेश तक) कर दिया गया था, आईटी प्रणाली से आईटीसी की मैच-मिसमैच रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती थी। इसलिए अप्रयुक्त आगत कर क्रेडिट के मामले में जीएसटीआर-3बी में गलत आगत कर राशि दिखाते हुए प्रतिदाय के दावे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जबाब दिया (अक्टूबर 2018) कि प्रतिदाय की मैन्युअल प्रक्रिया के लिए और करदाताओं को अनुपलब्ध आईटीसी की कोई राशि प्रतिदाय नहीं हो जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र (12 दिसम्बर 2017, 9 जनवरी 2018 और 21 मार्च 2018) जारी किए गए। सरकार ने आगे कहा कि प्रतिदाय के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्रावधानों की पालना नहीं होने के मामले में स्वीकृत प्रतिदाय की राशि सरकार को ब्याज सहित वापस दे दी जावेगी।

पुराने प्रकरण

लेखापरीक्षा ने कर निर्धारण, बकाया की वसूली और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में पुराने मुद्दों का आकलन किया और हमारी आपत्तियां इस प्रकार हैं:

2.4.9 व्यवहारियों का कर निर्धारण

जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले आरवैट अधिनियम, 2003, सीएसटी अधिनियम, 1956 और अन्य करों जैसे प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर इत्यादि के तहत व्यवहारियों को पंजीकृत किया गया था। इसलिए विभाग द्वारा पुरानी कर व्यवस्था के तहत पंजीकृत व्यवहारियों के वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (30 जून 2017 तक) के कर निर्धारण संबंधित वर्ष के दो वर्ष बाद की निर्धारित अवधि में संपूरित किए जाने थे। विभाग ने 2015-16 के कर निर्धारण के लिए 'डीम्ड कर निर्धारण योजना' पेश की (31 मई 2017)। डीम्ड कर निर्धारण और अन्य कर निर्धारणों के शीघ्र निपटान के लिए कर निर्धारण अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी (11 अगस्त 2017) किए गए। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2015-16 के लिए 10 मामलों को छोड़कर सभी कर निर्धारण संपूरित कर लिए गए थे (मार्च 2018)। विभाग ने वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के लिए समय-समय पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि की और अन्तिम विस्तार वर्ष 2016-17 के लिए 31 मई 2018 तक और वर्ष 2017-18 के लिए 31 अक्टूबर 2018 तक दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण के लिए 'डीम्ड कर निर्धारण योजना' पेश की

(11 जून 2018)। तथापि, विभाग ने वर्ष 2016-17 के कर निर्धारणों के शीघ्र निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की।

‘डीम्ड कर निर्धारण योजना’ की जांच से पता चला कि योजना के तहत कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के दौरान उन मामलों में राजस्व रिसाव का जोखिम है जहां व्यवहारियों ने कर योग्य वस्तुओं की खरीद पर आगत कर का दावा किया और इन वस्तुओं का उपयोग करमुक्त माल के निर्माण/राज्य के बाहर प्रेषण के लिए किया गया अथवा माल (प्लान्ट एवं मशीनरी इत्यादि) जो पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा में शामिल नहीं थे, की खरीद पर आईटीसी का दावा किया गया था। इसके अलावा डीम्ड कर निर्धारण प्रकरणों में घोषणा पत्रों के दुरुपयोग, घोषणा पत्रों पर क्रय लेकिन विवरणी में शामिल नहीं किये गये माल पर कर का भुगतान नहीं करना, कर की गलत दर लगाने से कर का कम भुगतान आदि की सम्भावनाएं हैं।

इसलिए विभाग को डीम्ड कर निर्धारण योजना के तहत कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने से पहले ऐसे प्रकरणों का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने कहा कि कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के दौरान विवरणियों की उचित जांच के लिए कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये थे (सितम्बर 2018)।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि 3 अक्टूबर 2018 तक वर्ष 2016-17 के लिए 2,14,529 कर निर्धारण पूर्ण कर दिए गए थे और विभाग अधिकांश कर निर्धारणों को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण वर्ष 2018-19 में ही पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

2.4.10 बकाया की वसूली

विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को राशि ₹ 16,072.68 करोड़ बकाया (वैट और सीएसटी) थी। विभाग ने बकाया राशि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। कुल बकाया की 50 प्रतिशत राशि दो श्रेणियों में यथा बकाया घोषणा पत्र (वैट/सीएसटी) प्रस्तुत नहीं करने के कारण बकाया राशि ₹ 7,891.46 करोड़ व आगत कर का सत्यापन नहीं होने के कारण बकाया राशि ₹ 1,186.93 करोड़ अवरुद्ध थी। आगे के अनुच्छेदों में उक्त दो श्रेणियों पर लेखापरीक्षा आक्षेपों की विवेचना की गयी है:

2.4.10.1 घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण बकाया

आरवैट अधिनियम, 2003 और सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत कर से आंशिक या पूर्ण छूट के लिए विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्र निर्धारित किए गए थे। सीएसटी (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12(7) के अनुसार घोषणा पत्र जिस अवधि से संबंधित है उस अवधि के बाद से तीन महीने के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति उपर्युक्त समय के भीतर ऐसे घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण से संरक्षित था तो उक्त प्राधिकारी ऐसे घोषणा पत्रों को ऐसे अतिरिक्त समय तक जो प्राधिकारी अनुमति दे, प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त, वैट घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक प्रावधान आरवैट नियम 2006 के नियम 21 में निर्धारित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जहां व्यवहारियों ने घोषणा पत्र कर निर्धारण तक प्रस्तुत नहीं किए, कर निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारित दर¹⁴ से कर का आरोपण कर मांग कायम कर दी। तथापि, कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण के बाद इन मांगों की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की थी। विभाग ने व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्रों का विवरण स्वेच्छा से प्रस्तुत करने का इन्तजार किया। बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर उसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम मांग को कम किया जा रहा था। घोषणा पत्र प्रस्तुत करने, कायम मांग की वसूली व कर निर्धारण के बाद प्रस्तुत घोषणा पत्र के सत्यापन पर निगरानी के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेपों की चर्चा नीचे की गई है:

● **विवरणियों में बकाया घोषणा पत्रों के बारे में अपूर्ण जानकारी**

आरवैट नियमों के नियम 19 के अनुसार व्यवहारियों को अपनी वार्षिक विवरणी (वैट-10ए) में बकाया घोषणा पत्रों का विवरण जैसे क्रेता का नाम, टिन, वस्तु का नाम, लेन-देन की राशि इत्यादि का उल्लेख करना आवश्यक था। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यवहारियों के लिए वार्षिक विवरणी (वैट-10ए) के निर्धारित कॉलम में जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य था।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये डम्प डेटा की जांच से पता चला कि व्यवहारी या तो अपने वार्षिक विवरणी में बकाया घोषणा पत्रों का विवरण नहीं दे रहे थे या इसे कम दर्शा रहे थे। लेखापरीक्षा ने 2015-16 के लिए व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणी वैट-10ए में उल्लेखित बकाया घोषणा पत्रों व कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किये गये कर निर्धारण का विवरण मंगवाया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्रासंगिक अधिनियम/नियम	व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी वैट 10ए के अनुसार		कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए कर निर्धारण के अनुसार	
	व्यवहारियों की संख्या	बकाया घोषणा पत्रों की राशि	व्यवहारियों की संख्या	बकाया घोषणा पत्रों की राशि
वैट	344	681.75	3,694	4,392.85
सीएसटी	2,449	10,129.02	34,231	1,36,092.10
योग	2,793	10,810.77	37,925	1,40,484.95

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत से अधिक व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में बकाया घोषणा पत्रों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। कर का सही दर से आरोपण एवं व्यवहारियों द्वारा विवरणियों में दर्शाये गये लेन-देनों की सत्यता की जांच करने के लिए बकाया घोषणा पत्रों का विवरण आवश्यक है।

विभाग को यह निगरानी करने के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है कि कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण के समय या बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समयावधि बढ़ाते समय घोषणा पत्रों का विवरण एकत्रित करें।

सचिव, वित्त (राजस्व) चर्चा के दौरान लेखापरीक्षा आक्षेप से सहमत थे लेकिन कर निर्धारण से पूर्व बकाया घोषणा पत्रों का विवरण एकत्रित करने के लिए सिस्टम शुरू करने में असहजता व्यक्त की।

¹⁴ घोषणा पत्र के समर्थन के बिना विक्रय किये गये माल पर कर की निर्धारित दर।

- **अप्रस्तुत घोषणा पत्रों के लिए कायम मांग की वसूली का अभाव**

आरवैट घोषणा पत्र वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किए जाने थे तथापि, सरकार ने समय-समय पर आरवैट नियमों में संशोधन किया और चूककर्ता व्यवहारियों को आरवैट घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए समयावधि को लगातार बढ़ाया गया। संशोधित नियमों के अनुसार जून 2017 तक किए गए कर निर्धारणों के लिये व्यवहारी 31 मार्च 2018 तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।

यह देखा गया कि अप्रस्तुत घोषणा पत्रों के लिए आरोपित कर के लिए कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, जून 2017 तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों से संबंधित अप्रस्तुत घोषणा पत्रों के कारण कायम की गयी मांग 97,706 व्यवहारियों के विरुद्ध राशि ₹ 3,110.86 करोड़ हो गयी थी यद्यपि विस्तारित अवधि समाप्त हो गयी थी। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 तक किए गये कर निर्धारणों से संबंधित अप्रस्तुत घोषणा पत्रों के कारण कायम मांग की बकाया राशि ₹ 7,891.46 करोड़ हो गयी थी। इस प्रकार पुरानी मांगों की वसूली में विलम्ब वसूली की सम्भावना को अवरुद्ध कर सकता है।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि बकाया घोषणा पत्रों के कारण कायम की गयी मांगों की वसूली की कार्यवाही घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिये गये समय की समाप्ति के बाद शुरू की जा रही थी। सरकार ने आगे कहा कि घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए सीएसटी (पंजीकरण और टर्नओवर) नियमों के नियम 12(7) में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी किसी भी समय पर्याप्त कारण के आधार पर घोषणा पत्र स्वीकार कर सकता है तथापि पर्याप्त कारणों के अभाव में बकाया घोषणा पत्रों की कायम मांग की वसूली के लिए निर्देश जारी किए गये।

उत्तर दर्शाता है कि यद्यपि कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया लेकिन ऐसे प्रकरण में वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी और व्यवहारियों को मांग कायम करने की तिथि के बाद भी सीएसटी घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। इससे कर निर्धारण की प्रक्रिया कम प्रभावशाली हुई और वसूली की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ विशेष रूप से उन प्रकरणों में जहां व्यवहारियों ने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था या लापता हो गये थे।

- **पांच वर्ष पश्चात् प्रस्तुत घोषणा पत्रों का सत्यापन**

आरवैट अधिनियम की धारा 71(5) के अनुसार व्यवहारी को किसी विशेष वर्ष के लेखा, रजिस्टर व अन्य दस्तावेज उस संबंधित वर्ष के आगामी पांच वर्षों तक संरक्षित रखे जाने थे। इसलिए पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में घोषणा पत्रों में दर्शाये गये लेन-देनों का सत्यापन व्यवहारियों के लेखों से नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने से कर चोरी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया और कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.4.10.2 आगत कर का सत्यापन

आरवैट अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार आगत कर की क्रेडिट आयुक्त द्वारा अधिसूचित तरीके से देय कर के जमा के सत्यापन के पश्चात् ही अनुमत की जावेगी। इसके

अतिरिक्त, आयुक्त ने आगत कर क्रेडिट देने के लिए कर जमा होने के सत्यापन के तरीके अधिसूचित किये (सितम्बर 2009, अक्टूबर 2014 और जून 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1 अप्रैल 2018 को आईटीसी के सत्यापन नहीं होने के कारण राशि ₹ 1,186.93 करोड़ की मांग वर्ष 2006-07 से बकाया थी। 1 जुलाई 2018 को यह घटकर राशि ₹ 741.10 करोड़ हो गयी जिसमें से पांच साल से अधिक पुरानी मांग राशि ₹ 192.95 करोड़ बकाया थी। क्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए पांच साल से अधिक पुराने मामलों से संबंधित बिलों का प्रतिसत्यापन मुश्किल होगा क्योंकि व्यवहारी द्वारा लेखों को केवल पांच वर्ष के लिये ही रखने के लिये कानूनी प्रावधान होने के कारण मेचिंग रिकार्ड का व्यवहारी की लेखापुस्तकों से सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

विभाग पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों में यह सत्यापित करने में सक्षम नहीं होगा कि विक्रेता व्यवहारी ने अपनी विवरणियों में लेन-देन को दर्शाया था और राजकोष में कर जमा करा दिया था। चूंकि इन मामलों में पर्याप्त राशि शामिल थी, इसलिए विभाग के लिये आईटीसी को प्राथमिकता के आधार पर सत्यापित करने की आवश्यकता है।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने चर्चा के दौरान लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया और कहा कि पांच साल से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.4.11 जीएसटी-पूर्व अवधि के प्रतिदाय

आरवैट अधिनियम/नियमों में व्यवहारियों द्वारा प्रतिदाय हेतु आवेदन प्रस्तुत किये बिना कर निर्धारण के परिणामस्वरूप देय प्रतिदाय जारी करने के लिये प्रावधान नहीं थे जैसा कि आयकर अधिनियम में प्रावधान थे।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आरवैट अधिनियम के तहत व्यवहारियों द्वारा 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही की तिमाही विवरणियों में दावा किये गये प्रतिदाय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

व्यवहारी जिन्होंने तिमाही विवरणी वेट10 में प्रतिदाय दर्शाया था (30 जून 2017 को समाप्त तिमाही)		व्यवहारी जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र वेट 20/20ए/20एए/21 में प्रतिदाय का आवेदन किया		स्वीकृत प्रतिदाय	
व्यवहारियों की संख्या	राशि	व्यवहारियों की संख्या	राशि	व्यवहारियों की संख्या	राशि
8,886	300.69	441	79.5	356	75.44

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यवहारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदाय के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त 8,445 मामलों¹⁵ में राशि ₹ 221.19 करोड़ के प्रतिदाय तय किये जायेंगे।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि व्यवहारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदाय के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के बाद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रतिदाय स्वीकृत किये जा रहे थे तथापि, आरवैट अधिनियम में बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया है।

¹⁵ 8,445 प्रकरण: 8,886 प्रकरण (-) 441 प्रकरण।

विभाग प्रतिदाय हेतु आवेदन करने के लिए व्यवहारियों को संवेदनशील बनाने पर विचार कर सकता है। यह राज्य के राजस्व के हित में भी है क्योंकि प्रतिदाय देने के कारण राजस्व में यदि कोई कमी होती है तो केन्द्र द्वारा केवल पांच वर्ष की ट्रांजिशनल अवधि के दौरान मुआवजा दिया जावेगा और ट्रांजिशनल अवधि के बाद दिये गये प्रतिदाय राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

2.4.12 निष्कर्ष

सरकार/विभाग जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए अपनी तैयारी में तत्पर था जैसा कि जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित मॉडल कानून के अनुसार अधिनियम और नियमों के अधिनियमन, मौजूदा करदाताओं के प्राथमिक नामांकन, क्षमता निर्माण प्रयास आदि के संबंध में देखा जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नियम/विनियमों में परिवर्तन किए गए जिसके परिणामस्वरूप एसजीएसटी में निर्धारित की गई बहुत-सी प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जीएसटीएन ने पूर्ण आईटी समाधान प्रदान नहीं किया और इस प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी समस्याओं को हल नहीं किया गया। राजस्थान सरकार जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में पंगू थी क्योंकि इन मामलों में इसकी भूमिका सीमित थी। विभाग को पूर्व के मुद्दों जैसे कि जीएसटी पूर्व के प्रावधानों का कर निर्धारण, बकाया की वसूली और कर का प्रतिदाय को सावधानी पूर्वक विशेषीकृत व्यवस्था के माध्यम से समयबद्ध तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है।

2.5 विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अपील प्रकरणों का निस्तारण

2.5.1 पृष्ठभूमि

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 82 तथा राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 23 के अनुसार, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा चैक-पोस्ट अथवा बेरियर के प्रभारी द्वारा इन अधिनियमों के अन्तर्गत पारित एक आदेश से असंतुष्ट होने पर कोई भी व्यवहारी अथवा व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध निर्दिष्ट प्रपत्र तथा रीति में विवादित कर राशि¹⁶ के निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (राज्य सरकार द्वारा इसके लिए उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 83 के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति अथवा व्यवहारी तथा आयुक्त/उपायुक्त अथवा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारियों के किसी आदेश से असंतुष्ट होने पर, राजस्थान कर बोर्ड (द्वितीय अपील) के समक्ष एक अपील प्रस्तुत कर सकता है।

नौ अपील कार्यालयों में से चयनित पांच¹⁷ अपील कार्यालयों द्वारा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों के प्रस्तुत करने तथा निस्तारण की

¹⁶ एकतरफा पारित कर निर्धारण आदेश की अपील के प्रकरण में विवादित कर राशि का पांच प्रतिशत तथा अन्य प्रकरणों में दस प्रतिशत।

¹⁷ अजमेर, बीकानेर, जयपुर-I, जयपुर-III तथा उदयपुर।

रीति की दक्षता को जांचने के लिये जनवरी 2018 तथा मई 2018 के मध्य लेखापरीक्षा की गई। हमने यह निर्धारित करने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की, कि क्या अपीलों के प्रस्तुत करने, स्वीकार करने तथा निस्तारण किये जाने के निर्दिष्ट प्रावधानों/प्रक्रियाओं की पूर्ण रूप से पालना की गयी थी। हमने 2014-15 से 2016-17 के दौरान 11,442 निस्तारित अपील प्रकरणों में से 4,318 प्रकरणों (37.38 प्रतिशत) की नमूना जांच की गई।

2.5.2 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील प्रकरणों का निस्तारण

विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को 4,396 अपील प्रकरण अंतिम रूप देने के लिए बकाया थे, अवधि 2014-15 से 2016-17 के दौरान 10,471 प्रकरण और जोड़े गये। इनमें से, इस अवधि में 11,242 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 3,625 प्रकरण (कुल प्रकरणों का 24 प्रतिशत) 31 मार्च 2017 को बकाया रहे। इनमें से, 1,593 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 913.20 करोड़ निहित थी प्रवेश कर से संबंधित थे तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास बकाया थे। इनमें से 1,069 प्रकरण (67.11 प्रतिशत) तीन वर्ष से अधिक के बकाया थे।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम की वैद्यता सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन थी, इसलिए, किसी भी विधिक जटिलता को टालने के लिए प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया। इसके पश्चात्, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (मार्च 2017) के प्रकाश में बकाया अपील प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि बकाया मामलों (एक वर्ष से अधिक) को निर्णित करने के निर्देश प्राधिकारियों को पूर्व में ही जारी (5 सितम्बर 2018) किये जा चुके हैं।

2.5.3 विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा अपील प्रकरणों में अपर्याप्त रूप से पक्ष रखा जाना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 82(6) के अनुसार, किसी भी अपील को निस्तारित करने से पूर्व अपीलीय प्राधिकारी संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी से ऐसी आगामी पूछताछ कर सकता है, जिसे वह उचित समझे। ऐसे प्राधिकारी अथवा अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गयी हो, या तो व्यक्तिशः अथवा उनके प्रतिनिधि को अपील की सुनवाई के दौरान सुने जाने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त, धारा 82(7) के अन्तर्गत, अपीलीय प्राधिकारी कर निर्धारण, ब्याज अथवा शास्ति के आदेश के प्रकरण में कर निर्धारण, ब्याज अथवा शास्ति के आदेश की पुष्टि, वृद्धि, कमी या निरस्त कर सकता है; अथवा कर निर्धारण, ब्याज अथवा शास्ति के आदेश को अपास्त करते हुए कर निर्धारण प्राधिकारी को दिये गये निर्देशों के अनुसार ऐसी जांच करने के उपरान्त नवीन आदेश पारित करने को निर्देशित कर सकता है। अपील की सुनवाई के समय विभागीय पक्ष रखने हेतु विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक अपीलीय कार्यालय में एक विभागीय प्रतिनिधि (डीआर) नियुक्त रहता है।

चयनित कार्यालयों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2014 एवं मार्च 2017 के मध्य 4,318 में से 132 प्रकरणों, जिनमें विवादित राशि ₹ 128.13 करोड़ निहित थी, का निस्तारण किया गया तथा इनमें से 110 प्रकरणों में ₹ 100.04 करोड़ की मांग को अपास्त किया गया। इन 132 प्रकरणों के विश्लेषण में पाया गया कि 82 अपीलीय आदेश प्रकरणों में विभागीय

प्रतिनिधि की भूमिका को एक लाइन में अंकित किया गया 'विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की गई' जो यह दर्शाता है कि अपील को अस्वीकार किये जाने हेतु तर्क विभागीय प्रतिनिधि द्वारा नहीं किये गए थे। 36 प्रकरणों में विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित नहीं थे तथा 14 प्रकरणों में संबंधित अपीलीय प्राधिकारी कार्यालयों में विभागीय प्रतिनिधि के पद रिक्त होना बताया गया।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि कर निर्धारण आदेश में अंकित टिप्पणियों के आधार पर ही विभागीय प्रतिनिधि तर्क करता है तथा अधिकांश अपील प्रकरण विभाग के पक्ष में निर्णित हुए हैं। यद्यपि, आंकड़ें दर्शाते हैं कि 132 नमूना जांच किये गए प्रकरणों में से 50 प्रकरणों में तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि 82 प्रकरणों में एक पंक्ति के रटे-रटाये वाक्य को ही आदेशों में दुहराया गया है, जो कि प्रभावी बचाव की कमी को दर्शाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निस्तारित अपीलों (2014-15 से 2016-17) के विश्लेषण में पाया गया कि निस्तारित अपीलों में विभाग के पक्ष में निर्णित होने की प्रवृत्ति घटती (54.47, 46.22 तथा 36.80 प्रतिशत) हुई पाई गयी।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी तर्क दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभाग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

2.5.4 अपील प्रक्रिया के लिए आईटी सिस्टम का उपयोग

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 (प्रभावी दिनांक 1 अक्टूबर 2015) द्वारा राज्य सरकार ने निर्णय किया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को, अपील, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही प्रस्तुत की जावेगी। अपीलीय प्राधिकारी, अपील के ज्ञापन-पत्र को, कर निर्धारण प्राधिकारी को उनकी टिप्पणियां विभाग की कार्यालयी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में अग्रेषित करेंगे।

चयनित अपीलीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अपीलार्थियों ने अपील ज्ञापन-पत्र तथा अपील विलम्ब से होने पर माफी के प्रार्थना-पत्र सहित संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किये थे। फिर भी, अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपील ज्ञापन-पत्र को कर निर्धारण प्राधिकारियों को उनकी टिप्पणियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अग्रेषित नहीं किया तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भी अपनी टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण प्राधिकारियों के विचार प्रकरण की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं हुये, जिससे प्रकरण में विभागीय पक्ष कमजोर हो गये।

सरकार ने बताया कि (अगस्त एवं नवम्बर 2018) कि आईटी सिस्टम में दस्तावेजों को अपलोड करने की क्षमता सीमित थी, जबकि अपील के ज्ञापन-पत्र एवं उनके समर्थित दस्तावेज बड़े आकार के थे। इसलिए अपील ज्ञापनों को सम्पूर्ण रूप से कर निर्धारण प्राधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित नहीं किये जा सकते थे। अपील ज्ञापन की भौतिक प्रतियां कर निर्धारण अधिकारियों को भिजवायी गयी थी। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण अभिलेख एवं उनकी टिप्पणियां भेजी गयी थी।

यह दर्शाता है कि आईटी सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है तथा आईटी सिस्टम की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि निर्दिष्ट प्रक्रिया की पालना की जा सके।

2.5.5 अपील आदेशों को पारित करने में विलम्ब

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने दिनांक 1 अप्रैल 2010 को परिपत्र द्वारा सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त अपीलों का एक वर्ष के भीतर अनिवार्यतः निस्तारण करें तथा 1 अप्रैल 2010 को बकाया अपीलों का निस्तारण 31 मार्च 2011 तक करें। इन निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया था कि एक वर्ष के भीतर अपीलों का निस्तारण न किये जाने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को उत्तरदायी माना जावेगा।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित किये गये अपील आदेशों के अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2008-09 से 2016-17 के दौरान प्रस्तुत 266 अपील प्रकरणों का निस्तारण (अप्रैल 2014 तथा नवम्बर 2017 के मध्य) निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि से अधिक 6 से 2,510 दिन तक के विलम्ब से किया गया।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि बकाया प्रकरणों (एक वर्ष से अधिक) को मार्च 2019 तक निस्तारित किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। सरकार ने एक वर्ष की अवधि के भीतर अपील प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के निर्देशों को भी दोहराया गया है।

जीएसटी के लागू हो जाने के पश्चात् अब अपील प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है, समय का अन्तराल बढ़ने से जीएसटी में समाहित किये गये करों से संबंधित वसूली पर निगरानी रखना कठिन रहेगा।

2.5.6 नियन्त्रण पंजिकाएं

विभागीय नियम पुस्तिका तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों में नियंत्रण पंजिकाओं को प्रावधित नहीं किया गया था। सूचनाएँ जैसे कि मांग पत्र तामिल किये जाने की तिथि, विवादित राशि, अपील प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु जमा योग्य राशि, अपील के निस्तारण किये जाने की तिथि, आदि, अपील प्रक्रिया की कुशलता पर निगरानी हेतु आवश्यक थी। ये अभिलेख या तो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित नहीं किये जा रहे थे।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि एक परिपत्र जारी (अक्टूबर 2018) कर वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक सूचनाओं के लिए अपील रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया कि प्रभावी निगरानी के लिए एक संशोधित मासिक कार्य प्रतिवेदन का भी प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है।

2.5.7 सिफारिशें

विभाग को अपील प्रकरणों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है तथा प्राधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं वे इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध आईटी सिस्टम का समुचित उपयोग करें। प्रथम अपीलीय कार्यालय द्वारा आवश्यक सूचनाओं का संधारण करवाने हेतु विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रारम्भ करना चाहिए। अपील की सुनवाई के दौरान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा विभागीय पक्ष को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.6 कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों (सीपीपी) पर विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

विद्युत शुल्क का आरोपण और संग्रहण राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 और राजस्थान विद्युत शुल्क नियम, 1970 के साथ ही इनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं से शासित होता है। विद्युत शुल्क एक उपभोग कर है, जो राज्य के भीतर एक उपभोक्ता¹⁸ द्वारा या तो वाणिज्यिक या घरेलू उद्देश्य के लिए विद्युत के उपभोग पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है।

विद्युत शुल्क राज्य सरकार को देय है बिना इस बात पर ध्यान दिये कि उपभोक्ता को ऊर्जा चाहे एक अनुज्ञाधारी या बोर्ड या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। 'कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों के मालिकों (व्यवहारियों)' को अपने वास्तविक मासिक उपभोग के अनुसार सरकार को विद्युत शुल्क का भुगतान करना है। राजस्थान विद्युत शुल्क नियमों के नियम 3बी(1) में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति (एक आपूर्तिकर्ता के अलावा) जो अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए या दूसरों को निःशुल्क आपूर्ति करने हेतु ऊर्जा उत्पादन करने का प्रयोजन करता है, तो उसका पंजीकरण उसके पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 (16 मार्च 2015 से प्रभावी) द्वारा कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के संबंध में स्वउत्पादित ऊर्जा के किसी भी उद्देश्य के लिए उपभोग पर देय विद्युत शुल्क की दर ₹ 0.40 प्रति यूनिट (किलो वाट घंटा) निर्धारित की गयी। कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत शुल्क के रूप में एकत्रित राजस्व वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः¹⁹ ₹ 0.82 लाख, ₹ 252.40 करोड़ और ₹ 271.41 करोड़ था। विद्युत शुल्क²⁰ का आरोपण और संग्रहण की प्रणाली राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा शासित की जाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग में पंजीकृत कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र व्यवहारियों के पंजीकरण के बारे में जानकारी चाही गयी (अगस्त 2017)। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने सूचना एकत्र करके 14 वृत्तों में पंजीकृत 18 व्यवहारियों की सूची उपलब्ध कराई (अक्टूबर 2017)।

ई-कोषालय, राजस्थान के माध्यम से विद्युत शुल्क का भुगतान करने वाले व्यवहारियों की सूची के साथ इस सूची का मिलान करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 व्यवहारियों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान किया जा रहा था। इस प्रकार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में 13 व्यवहारी नहीं पाये गये। इन 31 व्यवहारियों में से 10 व्यवहारियों का लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए चयन किया और जिनमें निम्नलिखित कमियां पायी गयी।

2.6.1 कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों का अपंजीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों के पंजीकरण से संबंधित कोई भी रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा संधारित फाइलों के आधार पर

¹⁸ एक व्यक्ति जिसे एक आपूर्तिकर्ता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति जो ऊर्जा उत्पन्न करता है के द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है और ऐसा आपूर्तिकर्ता भी शामिल है जिसके द्वारा अपने वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये गये परिसर में या पर ऊर्जा की सपत की जाती है।

¹⁹ विभागीय सूचना के अनुसार।

²⁰ 0043 उप-शीर्ष 101: विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर।

इकाइयों को पंजीकरण संख्या आवंटित की गयी। परिणामस्वरूप व्यवहारियों के पंजीकरण की निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विशेष वृत्त-I, जयपुर की एक इकाई द्वारा मार्च 2015 से सितम्बर 2016 तक की अवधि की प्रस्तुत की गई विवरणियों में लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान उसने विद्युत शुल्क राशि ₹ 12.37 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन विभाग द्वारा उसे कोई पंजीकरण संख्या आवंटित नहीं की गई। इकाई द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया था इसका कोई तथ्य अभिलेख में नहीं पाया गया। यह सूचित करने (जून 2018) के बाद सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि व्यवहारी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है।

इस तरह के प्रकरण को देखते हुए, विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि प्रत्येक पात्र कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र का समय पर पंजीकरण कर दिया जाये।

2.6.2 कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत नहीं करना

राजस्थान विद्युत शुल्क नियमों का नियम 6, यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, आयुक्त वाणिज्यिक कर को तिमाही की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक त्रैमासिक विवरणी संबंधित तिमाही के लिये विवरणी फॉर्म-XII में दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। तथापि, विशेष वृत्त-I, जयपुर के एक व्यवहारी²¹ ने अवधि 2014-15 से 2016-17 की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की, लेकिन संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विवरणियों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि व्यवहारी ने विद्युत शुल्क का सही भुगतान किया है। कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों द्वारा समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने और देय शुल्क के संग्रह की निगरानी करने के लिए कोई पंजिका नहीं थी।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए नोटिस जारी करने के बाद दोषी व्यवहारी ने 26 जून 2018 तक बकाया सभी विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं और देय विद्युत शुल्क भी जमा करा दिया है।

तथ्य यह है कि विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिये एक निगरानी तंत्र नहीं है कि व्यवहारियों द्वारा समय पर विवरणियां प्रस्तुत की गई हैं। इसलिए, सभी मामलों में विवरणियां प्रस्तुत करने की जांच और सभी व्यवहारियों की विवरणियों की निगरानी के लिए एक प्रणाली तैयार की जा सकती है।

2.6.3 निर्धारित प्रारूप में विवरणियां प्रस्तुत नहीं करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि विशेष वृत्त-II, उदयपुर के एक व्यवहारी²² ने निर्धारित फॉर्म-XII में विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी। ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यवहारी के पास चार कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र थे और सभी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों के लिए फॉर्म-XII में एक समेकित विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, तथापि व्यवहारी ने कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र-वार यूनिट उपभोग की

²¹ मै. एचएसबी एग्रो इण्डस्ट्रीज।

²² मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड।

विवरणी प्रस्तुत की और वर्ष 2015-16 के दौरान 184.67 करोड़ युनिटों का उपभोग दिखाया। निर्धारण प्राधिकारी ने केवल तीन कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों के 181.57 करोड़ युनिट पर विद्युत शुल्क का गलत रूप से आंकलन किया और चौथे कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित शेष रही 3.10 करोड़ युनिट पर आरोपणीय शुल्क ₹ 62 लाख²³ को छोड़ दिया, इस तथ्य के बावजूद कि कम्पनी ने देय शुल्क की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2018) कि इकाई ने गलत प्रारूप में विवरणी प्रस्तुत की थी, इसलिये निर्धारित प्रारूप में विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिये राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) के तहत ₹ 800 का जुर्माना लगाया गया (जुलाई 2018) और भूल सुधार के लिये संशोधित कर निर्धारण आदेश 19 जुलाई 2018 को पारित किया गया।

2.6.4 विवरणियों में प्रारम्भिक और अंतिम मीटर रीडिंग को दर्ज नहीं करना

दो व्यवहारियों²⁴ ने विवरणी फॉर्म में विनिर्दिष्ट कॉलम होने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रस्तुत 18 विवरणियों में प्रारम्भिक और अंतिम मीटर रीडिंग को अभिलिखित नहीं किया। इस प्रकार, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन व्यवहारियों द्वारा युनिटों का उपभोग विवरणियों में सही ढंग से दर्ज किया गया था और विद्युत शुल्क के अनुगामी भुगतान सही थे। सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (अगस्त 2018) कि संबंधित प्राधिकारी आगामी विवरणियां केवल उचित प्रारूप में ही स्वीकार करेंगे।

2.6.5 राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम में प्रावधानों का अभाव

2.6.5.1 निर्धारण करने के लिए प्रावधान

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, राजस्थान के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में कर निर्धारण पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित है, तथापि, राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम के तहत विद्युत शुल्क निर्धारण के लिए ऐसा कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो प्राधिकारियों (विशेष-I, कोटा एवं विशेष-II, उदयपुर) ने तीन व्यवहारियों का शुल्क निर्धारण किया। चयनित 10 व्यवहारियों में से शेष सात व्यवहारियों का शुल्क निर्धारण संबंधित तीन प्राधिकारियों यथा विशेष-राजस्थान, जयपुर; विशेष-I, जयपुर और विशेष-पाली द्वारा नहीं किया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यवहारी विद्युत शुल्क का सही भुगतान कर रहे थे।

शुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के प्रावधान से, विभाग को शुल्क निर्धारण को शीघ्र अंतिम रूप देने व सही प्राप्ति के लिये प्रेरित किया जा सकेगा।

2.6.5.2 विवरणियों के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान

लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत शुल्क के लिए विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कोई आईटी प्लेटफार्म नहीं था और इन्हें मैनुअल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सक्षम

²³ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रियायती दर ₹ 0.20।

²⁴ मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और मै. निरमा लिमिटेड।

प्राधिकारी द्वारा विवरणियों का प्राप्ति-प्रेषण रजिस्टर संधारित करके विवरणियों की प्राप्ति की निगरानी नहीं की गई।

2.6.5.3 व्यवहारियों द्वारा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान

राजस्थान विद्युत शुल्क नियमों के नियम 6 के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथापि एक व्यवहारी (कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र मालिकों) द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन और विद्युत शुल्क का भुगतान करने के समेकित आंकड़े विभाग के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने कहा (अगस्त 2018) कि विभाग द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम/नियमों में शुल्क निर्धारण, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने और विवरणियां ऑन लाईन प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया जा रहा था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

2.6.5.4 दण्डात्मक प्रावधान

राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम के तहत विवरणी के नहीं/देरी से प्रस्तुत करने के बारे में कोई विशिष्ट दण्ड प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप विवरणी नहीं/देरी से प्रस्तुतीकरण के लिए जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। चयनित 10 व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जांच में पाया गया कि वृत्त विशेष-II, उदयपुर और विशेष-पाली के तीन व्यवहारियों²⁵ ने अपनी त्रैमासिक विवरणियां अवधि 4 से 247 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत कीं। लेकिन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विवरणियां देरी से प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम/नियमों में विवरणी नहीं/देरी से प्रस्तुत करने के विरुद्ध जुर्माना लगाए जाने के प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए विभाग द्वारा एक अनुरोध प्रस्तुत किया जा रहा था।

2.6.6 सहायक उपभोग पर विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम के तहत 'सहायक उपभोग'²⁶ को परिभाषित नहीं किया गया है। कर्नाटक विद्युत (उपभोग या बिक्री पर कराधान) अधिनियम, 1959 की धारा 3(2) के अनुसार, सहायक उपभोग पर कम दर से विद्युत शुल्क आरोपणीय है तथापि, राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा इस तरह की कोई छूट/रियायत प्रदान नहीं करती है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 द्वारा कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए स्व-उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर ₹ 0.40 प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क निर्धारित की है।

²⁵ मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, मै. निरमा लिमिटेड और मै. बिनानी सीमेंट लिमिटेड।

²⁶ कर्नाटक विद्युत (उपभोग या बिक्री पर कराधान) अधिनियम, 1959 (कर्नाटक विद्युत अधिनियम) की धारा 2(1) के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है कि विद्युत उत्पादन के लिये उत्पादन केन्द्र पर स्थापित कैप्टिव उत्पादक संयंत्र, को-उत्पादक संयंत्र सहित किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई विद्युत।

10 चयनित व्यवहारियों द्वारा (वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिये) प्रस्तुत विवरणियों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार व्यवहारियों²⁷ ने अपने कुल उत्पादित यूनिटों में से सहायक उपभोग के यूनिटों की कटौती का दावा किया और तदनुसार ही विद्युत शुल्क का भुगतान किया गया। तथापि, अधिनियम/नियमों में कोई भी प्रावधान नहीं होने पर भी संबंधित प्राधिकारियों²⁸ द्वारा छूट दी गई। इस प्रकार चार व्यवहारियों को 33.15 करोड़ यूनिटों के उपभोग पर राशि ₹ 12.36 करोड़ के विद्युत शुल्क के भुगतान की छूट दी गयी।

सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि सहायक उपभोग का आशय कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र द्वारा स्वयं और कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र से संबंधित मशीनरी के लिए विद्युत उपभोग और विद्युत के प्रसारण में नुकसान भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया था कि राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, विद्युत शुल्क एक उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा उपभोग किए गए ऊर्जा पर लागू होता है, जो आपूर्तिकर्ता के अलावा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिये सहायक उपभोग पर विद्युत शुल्क लागू नहीं था।

यद्यपि, तथ्य यह है कि न तो सहायक उपभोग को परिभाषित किया गया है और न ही सरकार द्वारा स्वयं उपभोग की गई बिजली के मापन की सीमा और प्रणाली को निर्दिष्ट किया गया है। व्यवहारियों ने उनके द्वारा घोषित किये गए छूट के उपभोग को मापने के लिए कोई अलग से मीटर नहीं लगवाया गया।

इस तरह की छूट का दावा करने के लिए कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। चयन की गई दस में से छः इकाइयों ने सहायक उपभोग की एवज में छूट का दावा नहीं किया, इस अनुच्छेद में वर्णित केवल चार इकाइयों ने ही सहायक उपभोग को घटाया। 9 मार्च 2015 की अधिसूचना में किसी भी उद्देश्य के लिए स्व-उत्पादित ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क को निर्धारित किया गया है।

सरकार अधिनियम/नियमों में सहायक उपभोग को परिभाषित करने और सहायक उपभोग और अन्य उपभोग की निगरानी के लिए प्रणाली निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

2.6.7 निगरानी प्रणाली

2.6.7.1 उपयुक्त मीटर की स्थापना

राजस्थान विद्युत शुल्क नियमों के नियम 3बी(3) में यह प्रावधान किया गया है कि अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी, विद्युत निरीक्षक द्वारा या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त मीटर (विधिवत जांचा हुआ) स्थापित करवायेगा।

अभिलेखों (2014-15 से 2016-17) की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक प्रकरण के अतिरिक्त, उपयुक्त मीटर स्थापना संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त मीटर (विधिवत जांचा हुआ) की

²⁷ मै. मंगलम सीमेंट लिमिटेड, मै. निरमा लिमिटेड, मै. जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड और मै. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड।

²⁸ प्राधिकारी: विशेष-राजस्थान, जयपुर; विशेष-II, उदयपुर; विशेष-पाली और विशेष-I, कोटा।

स्थापना सुनिश्चित करने और यदि पहले से ही स्थापित किया जा चुका है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र संग्रह करने और अभिलेखों में रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.6.7.2 अभिलेखों और विवरणियों जैसे मीटर रीडिंग, आदि का सत्यापन नहीं करना

यह देखा गया था कि मीटर रीडिंग लेने की कोई प्रक्रिया नहीं थी जैसी डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क एवं अन्य बकाया राशि के आरोपण और संग्रह के दौरान अपनाई जाती है। वाणिज्यिक कर विभाग ऐसे राजस्व रिसाव को रोकने के लिए इस तरह की प्रणाली को अपना सकता है।

सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि सही विद्युत शुल्क आरोपित करने हेतु विवरणियों के विवरणों की जांच और सत्यापन करने की एक प्रणाली विकसित करने/बनाने के लिए लेखापरीक्षा की सिफारिशें मूल्यवान हैं और क्षेत्रीय प्राधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2.6.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत करने और विवरणियों के आधार पर शुल्क निर्धारण के प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की निगरानी में कमी हुई जिसके कारण शुल्क का अनारोपण और कम आरोपण हुआ। विद्युत शुल्क राशि की गणना के लिए मीटर रीडिंग की जांच और विवरणों का सत्यापन आवश्यक था, इस हेतु आवधिक निरीक्षण नहीं किये गये। अधिनियम/नियमों में विवरणियों के नहीं/देरी से प्रस्तुत करने पर कोई विशिष्ट दण्ड के प्रावधान नहीं थे।

सरकार विचार कर सकती है कि:

- राज्य में विद्युत शुल्क के भुगतान का दायित्व वाला प्रत्येक व्यवहारी राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, यह सुनिश्चित करने की प्रणाली विकसित करें;
- व्यवहारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने की निगरानी और दोषी व्यवहारियों के लिए अधिनियम/नियमों में विशिष्ट दण्ड प्रावधान लागू किये जाने चाहिए;
- विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और समयबद्ध रूप से शुल्क निर्धारण करने के लिए नियमों में विशिष्ट प्रावधान किये जाने चाहिए;
- मीटर रीडिंग की जांच के लिए आवधिक निरीक्षण और विद्युत शुल्क राशि की गणना के लिए आवश्यक विवरणों के सत्यापन संबंधी प्रावधानों का पालन करें; तथा
- दोषी व्यवहारियों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्यवाही करें।

2.7 अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सीएसटी/वैट/प्रवेश कर के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण; आगत कर का अनियमित लाभ; घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण; निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति; कर का गलत दर से लगाया जाना और अधिनियमों/नियमों की पालना नहीं करने के अनेक प्रकरण लेखापरीक्षा में देखे गये। लेखापरीक्षा द्वारा इस तरह की चूक को पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लाया गया, लेकिन न सिर्फ यह अनियमिततायें रही; ये लेखापरीक्षा किये जाने तक छुपी रही। यहां सरकार को आन्तरिक

लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करते हुये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। कुछ प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं, जिनमें राशि ₹ 30.41 करोड़ सन्निहित है। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं:

क्रम संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों की संख्या (निर्धारण दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/टिप्पणियां
1	16 कर निर्धारण प्राधिकारी ²⁹ (जुलाई 2014 और मार्च 2017 के मध्य)	प्रवेश कर का अनारोपण लेखापरीक्षा ने राजविस्ता से घोषणा पत्रों का उपयोग कर वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान क्रय/प्राप्त किये गये कर वंचना की सम्भावना वाले अधिसूचित माल की सूचना 16 वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान एकत्रित की और इसे 45 व्यवहारियों के कर निर्धारण अभिलेखों से जांचा गया। यह पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजविस्ता पर उपलब्ध अन्तर्राज्यीय स्वरीद की सूचना का उपयोग नहीं किया गया। <i>इसके परिणामस्वरूप, राशि ₹ 13.68 करोड़ के प्रवेश कर व ब्याज का अनारोपण हुआ।</i>	सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि 48 प्रकरणों में राशि ₹ 11.84 करोड़ आरोपित की गयी जिसमें से ₹ 0.72 करोड़ की वसूली की गयी।
2	4 कर निर्धारण प्राधिकारी ³⁰ (मार्च 2014 और मार्च 2017 के मध्य)	प्रवेश कर का गलत दर से आरोपण सात व्यवहारियों द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये माल जैसे पैटकोक, फरनेन्स ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पैकिंग मेटेरियल पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलत दर से कर लगाने के कारण ₹ 66.32 लाख की जगह केवल ₹ 35.30 लाख आरोपित किया गया। <i>इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 31.02 लाख का कम आरोपण हुआ, इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 13.87 लाख भी आरोपणीय था।</i>	
3	आगत कर का अनियमित समायोजन		
3(i)	11 कर निर्धारण प्राधिकारी ³¹ (दिसम्बर 2015 और जनवरी 2017 के मध्य)	राजविस्ता पर उपलब्ध सूचना का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया और यह पाया कि 13 मामलों ³² में वैट मुक्त माल के व्यवहारियों को आगत कर स्वीकृत किया गया था। इन व्यवहारियों की समस्त बिक्री कर मुक्त होने के कारण इन्हें आगत कर अनुमत नहीं था। इन व्यवहारियों द्वारा राशि ₹ 24.91 लाख आगत कर का अनियमित दावा किया गया।	सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2018) कि इन प्रकरणों में आगत कर राशि ₹ 24.30 लाख प्रत्यवर्तित/अस्वीकृत कर दी गयी और मांग राशि ₹ 16.14 लाख

²⁹ वृत्त: विशेष-I, अजमेर; विशेष-I, भीलवाड़ा; विशेष-II, भीलवाड़ा; विशेष-I, भिवाड़ी; विशेष-राजस्थान, जयपुर; विशेष-IV, जयपुर; विशेष-XI, जयपुर; आई-जयपुर; के-जयपुर; ओ-जयपुर; क्यू-जयपुर; सी-जोधपुर; ई-जोधपुर; विशेष-I, कोटा; बी-सीकर एवं विशेष-II, उदयपुर।

³⁰ वृत्त: विशेष-I, भीलवाड़ा; विशेष-I, भिवाड़ी; आई-जयपुर एवं सी-जोधपुर।

³¹ वृत्त: बी-ब्यावर; बी-भरतपुर; ए-भिवाड़ी; बूंदी; बी-हनुमानगढ़; एच-जयपुर; के-जयपुर; पी-जयपुर; सी-जोधपुर; ए-कोटा एवं ई-फलोदी।

³² 243 प्रकरणों में से वे प्रकरण जांचे गये जिनमें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ एक लाख से अधिक का आगत कर अनुमत किया गया।

क्रम संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों की संख्या (निर्धारण दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/टिप्पणियां
		<p>तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय <i>राजविस्टा</i> की मिसमैच रिपोर्टों के अनुसार केवल ₹ 0.89 लाख के आगत कर को अस्वीकृत किया और आगत कर के अनियमित दावे के लिये कोई शास्ति आरोपित नहीं की।</p> <p><i>इसके परिणामस्वरूप आगत कर की अनियमित स्वीकृति ₹ 24.02 लाख और ₹ 49.82 लाख की पेनल्टी का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 14.74 लाख भी आरोपणीय था।</i></p>	<p>आरोपित कर दी गयी। कम आरोपित³³ मांग के कारण पूछे गये लेकिन जवाब प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।</p>
3(ii)	कर निर्धारण प्राधिकारी वृत्त सी, बीकानेर (17 फरवरी 2017)	<p>एक व्यवहारी द्वारा अवधि 2014-15 के दौरान राज्य के भीतर कीमत ₹ 21.48 करोड़ का माल स्वरीदा और इस सम्पूर्ण स्वरीद पर ₹ 0.78 करोड़ के आगत कर का लाभ लिया गया। व्यवहारी ने ₹ 31.64 करोड़ की बिक्री घोषित की जिसमें से राशि ₹ 24.54 करोड़ का माल राज्य के बाहर भिजवाया गया था। व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित³⁴ आगत कर का लाभ ही देय था। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस अनियमितता का पता नहीं लगा सका और व्यवहारी द्वारा मांगे गये आगत कर को अनुमत्य कर दिया।</p> <p><i>इसके परिणामस्वरूप, आगत कर की राशि ₹ 0.55 करोड़ रिवर्स नहीं हुई तथा शास्ति ₹ 1.11 करोड़ का अनारोपण हुआ।</i></p>	<p>सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि आरोपित मांग ₹ 1.20 करोड़ (रिवर्स कर राशि ₹ 0.40 करोड़ तथा शास्ति ₹ 0.80 करोड़) के विरुद्ध ₹ 0.40 करोड़ की वसूल कर ली गयी।</p> <p>सरकार ने आगे जवाब दिया (जनवरी 2019) कि अपीलीय प्राधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया और प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था।</p> <p>विभाग ने अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त (विधि) को भेजा गया है।</p>
3(iii)	दो कर निर्धारण प्राधिकारी ³⁵ (मई 2015 और जुलाई 2016 के मध्य)	<p>दो व्यवहारियों द्वारा मोटर साईकिल/पार्टस और हाइड्रोलिक एक्सवेटर/डम्पर्स की स्वरीद पर ₹ 23.78 लाख के आगत कर का लाभ लिया गया। ये व्यवहारी लकड़ी/पत्थर के सामान के विक्रेता/निर्माणकर्ता थे। एक प्रकरण में व्यवहारी द्वारा पूंजीगत समान (हाइड्रोलिक एक्सवेटर/डम्पर्स) की स्वरीद के रूप में आगत कर का लाभ लिया गया। हाइड्रोलिक एक्सवेटर/डम्पर्स स्वनिजों की सुदाई और इनके परिवहन के लिये होते हैं,</p>	<p>सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2018 और जनवरी 2019) कि एक प्रकरण में मांग ₹ 23.55 लाख (कर राशि ₹ 14.80 लाख और ब्याज ₹ 8.75 लाख) आरोपित कर दी गयी लेकिन</p>

³³ कम आरोपित मांग ₹ 48.14 लाख: आरोपणीय 88.58 लाख (24.02+49.82+14.74) (-) आरोपित ₹ 40.44 लाख (24.30+16.14)।

³⁴ एक व्यवहारी राज्य में चार प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर पर आगत कर का दावा ऐसे माल की स्वरीद पर कर सकता है, जो निर्मित माल में कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया गया हो, ऐसा निर्मित माल को राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण के रूप में भेजा गया हो।

³⁵ वृत्त: के-जयपुर एवं विशेष-III, कोटा।

क्रम संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों की संख्या (निर्धारण दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/टिप्पणियां
		<p>इसलिये इनको पूंजीगत सामान में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अन्य प्रकरण में व्यवहारी द्वारा विक्रय योग्य माल (मोटर साईकिल/पार्टस) के रूप में आगत कर का लाभ लिया गया, जबकि, व्यवहारी द्वारा अपनी विवरणियों में मोटर साईकिल/पार्टस की बिक्री नहीं दर्शायी गयी थी। इस प्रकार, दोनों प्रकरणों में आगत कर अनुमत्य नहीं था। कर निर्धारण प्राधिकारी इस अनियमितता का पता नहीं लगा सके जिसके परिणामस्वरूप आगत कर की अनियमित स्वीकृति हुई और शास्ति तथा ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।</p> <p><i>इसके परिणामस्वरूप आगत कर ₹ 23.78 लाख अनियमित रूप से अनुमत्य की गयी और शास्ति ₹ 47.56 लाख व इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 16.55 लाख का आरोपण नहीं हुआ।</i></p>	<p>शास्ति आरोपित नहीं की गयी क्योंकि व्यवहारी द्वारा माल को अपने लेखापरीक्षित व्यापार खाते में दर्शाया गया है। दूसरे प्रकरण में मांग ₹ 32.52 लाख आरोपित कर दी गयी है।</p>
4	दो कर निर्धारण प्राधिकारी ³⁶ (अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 के मध्य)	<p>छः व्यवहारियों (क्रेता व्यवहारी) ने एक व्यवहारी (विक्रेता व्यवहारी) से कर योग्य माल खरीदा और ₹ 24.75 लाख के आगत कर का लाभ लिया। विक्रेता व्यवहारी द्वारा देय कर जमा नहीं कराया गया। इसलिये क्रेता व्यवहारी आगत कर का लाभ लेने योग्य नहीं थे। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा करवाये जाने का सत्यापन नहीं किया और क्रेता व्यवहारियों को आगत कर अनुमत्य कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.75 लाख का आगत कर अनियमित स्वीकृत हो गया। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 14.62 लाख भी आरोपणीय था।</p>	<p>सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2018 और जनवरी 2019) कि ₹ 37.38 लाख की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 13.90 लाख वसूल कर लिये गये। यद्यपि दो प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन दिया गया। एक अन्य प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी ने पुनः कर निर्धारण किये जाने का आदेश दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के एक मामले में पारित निर्णय (अप्रैल 2018) के प्रकाश में इस व्यवहारी के विरुद्ध पुनः कर निर्धारण में मांग सृजित नहीं की गयी। शेष दो प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये।</p>
5	चार कर निर्धारण प्राधिकारी ³⁷ (जून 2015 से फरवरी 2017 के मध्य)	<p>घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण</p> <p>सीएसटी अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों³⁸ के लिये पांच व्यवहारियों द्वारा ₹ 34.13 करोड़ का माल सी घोषणा प्रपत्र के समर्थन से खरीदा गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यह खरीदा गया माल वर्णित उद्देश्यों हेतु उपयोग में</p>	<p>सरकार ने सूचित किया (मई 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) कि ₹ 7.92 करोड़ की मांग</p>

³⁶ वृत्त: विशेष-III, जयपुर एवं विशेष-VIII, जयपुर।

³⁷ वृत्त: आई-जयपुर; क्यू-जयपुर; सी-जोधपुर एवं विशेष-II, कोटा।

³⁸ उसके द्वारा पुनः बिक्री या बिक्री किये जाने वाले माल के निर्माण या प्रसंस्करण या दूरसंचार नेटवर्क में या स्नान में या विद्युत या अन्य किसी प्रकार के ऊर्जा उत्पादन में।

क्रम संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों की संख्या (निर्धारण दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/टिप्पणियां
		नहीं लिया गया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुये शास्ति आरोपण करने में विफल रहे। <i>इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.86 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।</i>	कायम कर दी गयी। दो प्रकरणों में ₹ 6.94 लाख की वसूली के बाद अपीलीय प्राधिकारी ने वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी। शेष तीन प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
6	दो कर निर्धारण प्राधिकारी ³⁹ (2 जुलाई 2016 और 5 जुलाई 2016)	सी प्रपत्रों पर खरीदे गये माल पर कर का अनारोपण दो व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान सी घोषणा प्रपत्रों पर राशि ₹ 18.57 करोड़ का माल जैसे मोबाईल फोन, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक आईटम्स, सेनेट्री आईटम्स, डीजल जनरेटिंग सेट, इत्यादि की खरीद दर्शायी गयी। यद्यपि, इन व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय शून्य पण्यावर्त के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में विवरणियां प्रस्तुत न करने की ₹ 5,000 की शास्ति आरोपित की। <i>इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 1.14 करोड़ और शास्ति ₹ 0.23 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.74 करोड़ का अनारोपण हुआ।</i>	सरकार ने सूचित किया कि ₹ 1.73 करोड़ की मांग कायम कर दी गयी है। ₹ 0.14 करोड़ की मांग जमा से समायोजित की गयी। ₹ 2.11 करोड़ की जगह ₹ 1.73 करोड़ की ही मांग आरोपित करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा चाहे गये। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि प्रारम्भिक लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार मांग सृजित की गयी। जवाब स्वीकार्य नहीं क्योंकि विभाग को ब्याज की गणना लेखापरीक्षा टिप्पणी की दिनांक की जगह कर निर्धारण की दिनांक तक करनी थी और शास्ति भी आरोपणीय थी।
7	कर निर्धारण प्राधिकारी, वृत्त विशेष-I, अजमेर (अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के मध्य)	निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति एक सीमेंट निर्माता व्यवहारी ने जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 की अवधि के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ₹ 44.32 करोड़ के निवेश अनुदान का दावा किया गया। अनुदान केवल सीमेंट की बिक्री के लिये देय था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने इस अवधि के लिये ₹ 23.93 लाख का अनुदान सीमेंट के अतिरिक्त अन्य माल जैसे क्लिंकर, यूज्ड मोटर व्हीकल, स्क्रैप, इत्यादि के लिये चुकाये गये कर के हेतु दावा किया, जो कि अनियमित था।	सरकार ने सूचित किया कि मांग ₹ 28.81 लाख आरोपित कर दी गयी है और ₹ 4.39 लाख की वसूली कर ली गयी है। अपीलीय प्राधिकारी ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार की (अगस्त 2018) इसलिये,

³⁹ वृत्त: के-जयपुर एवं ए-जोधपुर।

क्रम संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों की संख्या (निर्धारण दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/टिप्पणियां
		तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी इस अनियमितता को पहचान नहीं सका और इस अयोग्य माल के लिये निवेश अनुदान स्वीकृत कर दिया गया। <i>इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.93 लाख का निवेश अनुदान अनियमित स्वीकृत हो गया इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 4.88 लाख वसूली योग्य था।</i>	विभाग दूसरी अपील दायर कर रहा है।
8	कर निर्धारण प्राधिकारी, वृत्त विशेष-IV, जयपुर (27 जनवरी 2017)	एक विक्रेता व्यवहारी ने ₹ 23.15 करोड़ का माल दो व्यवहारियों से माल वापसी के रूप में अपनी वैट विवरणियों में दर्शाया। विक्रेता व्यवहारी द्वारा इस वापसी माल पर कर नहीं चुकाया गया। विक्रेता व्यवहारी व क्रेता व्यवहारियों की वैट विवरणियों की आपसी जांच में ₹ 6.17 करोड़ के माल वापसी का अन्तर पाया गया। इसलिये, या तो विक्रेता व्यवहारी विक्रय वापसी का गलत दावा कर रहा है या इन क्रेता व्यवहारियों ने क्रय वापसी पर आगत कर को सही रूप से रिवर्स नहीं किया गया। <i>कर निर्धारण प्राधिकारी विवरणियों के आपसी जांच में असफल रहा इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 30.92 लाख और ब्याज राशि ₹ 15.13 लाख की कम वसूली रही।</i>	सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2018 और जनवरी 2019) कि क्रेता व्यवहारियों पर ब्याज सहित कर (₹ 45.42 लाख) आरोपित कर दिया गया, उसमें एक व्यवहारी से सम्पूर्ण मांग (₹ 34.86 लाख) समायोजित/वसूल कर ली गयी। दूसरे व्यवहारी के संबंध में ₹ 3.32 लाख की मांग उपलब्ध आईटीसी से समायोजित कर कर ली गयी। बकाया मांग ₹ 7.24 लाख की वसूली की आगामी प्रगति प्रतिक्षित है (फरवरी 2019)।
9	तीन कर निर्धारण प्राधिकारी ⁴⁰ (जून 2015 से फरवरी 2017 के मध्य)	कर की गलत दर का लगाया जाना तीन व्यवहारियों ने राशि ₹ 89.91 करोड़ के कर योग्य माल जैसे, <i>मोबाईल चार्जर, परोसा गया पका हुआ भोजन और लेमिनेटेड ऑटोमोबाईल टैक्सटाईल फेब्रिक्स</i> की बिक्री गलत कर दर से की। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इस अनियमितता को नहीं पहचान सके। <i>इसके परिणामस्वरूप, कर ₹ 1.82 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज ₹ 92.45 लाख का कम आरोपण हुआ।</i>	सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2018 और नवम्बर 2018 के मध्य) कि मांग राशि ₹ 2.76 करोड़ आरोपित कर दी गयी और ₹ 1.80 करोड़ वसूल कर लिये गये। यह भी सूचित किया कि दो प्रकरणों में बकाया मांग की वसूली पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

⁴⁰ वृत्त: सी-भीलवाड़ा; विशेष-IV, जयपुर एवं विशेष-IX, जयपुर।